राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: F.16( )RSLSA/JS/Translators/2019/19978 दिनांक: 23.07.2019

अनुवादक (Translators) के पैनल हेतु आमंत्रण प्रस्ताव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 27.05.2019 को विभिन्न प्रकार की विधिक सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विधिक प्रकरणों में एवं दैनिक शासकीय कार्य में हिन्दी/स्थानीय भाषा के दस्तावेजों से अंग्रेजी अनुवाद एवं vice-versa करने के लिए अनुवादकों (Translators) का पैनल तैयार किये जाने हेतु विधिक पृष्ठभूमि वाले इच्छुक विधि स्नातक एवं अंग्रेजी अनुवाद का न्यूनतम 3 वर्षीय अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों से मुख्य पीठ जोधपुर के लिए 10 (दस) एवं जयपुर पीठ के लिए 15 (पन्द्रह) की संख्या में पैनल में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 20 जून, 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त आमत्रंण प्रस्ताव को दिनांक 05 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया जाता है। इच्छुक आवेदक दिनांक 05 अगस्त, 2019 को सांय 5 बजे तक व्यक्तिशः या डाक द्वारा सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिकारिक वेबसाईट www.rlsa.gov.in से Download किये जा सकते हैं।

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: RSLSA/J.S./2019/13544 दिनांक - 27/05/19

अनुवादक (Translators) के पैनल हेतु आमंत्रण प्रस्ताव

विभिन्न प्रकार की विधिक सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विधिक प्रकरणों में एवं दैनिक शासकीय कार्य में हिन्दी/स्थानीय भाषा के दस्तावेजों से अंग्रेजी अनुवाद एवं vice-versa करने के लिए अनुवादकों (Translators) का पैनल तैयार किये जाने हेतु विधिक पृष्ठभूमि वाले इच्छुक विधि स्नातक एवं अंग्रेजी अनुवाद का न्यूनतम 3 वर्षीय अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों से मुख्य पीठ जोधपुर के लिए 10 (दस) एवं जयपुर पीठ के लिए 15 (पन्द्रह) की संख्या में पैनल में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 20 जून, 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन दिनांक 20 जून, 2019 को दोपहर 1 बजे तक व्यक्तिशः या डाक द्वारा सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिकारिक वेबसाईट www.rlsa.gov.in से Download किये जा सकते हैं।

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

अनुवादकों के पैनल की चयन प्रक्रिया एवं विवरण

1. अनुवादक को सुपुर्द किया गया अनुवाद का कार्य निर्धारित अवधि में करके देना होगा और समय की पाबन्दी की पालना करना आवश्यक होगा। साथ ही अनुवादक को अनुवाद की शुद्धता एवं प्रमाणितता का प्रमाण–पत्र भी निर्धारित प्रारूप में देना होगा।
2. दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने एवं दिए गए दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का गंभीर दायित्व अनुवादक का होगा। अनुवादक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेजों का प्रयोग उसके अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जावे।
3. अनुवादक अपने कार्य के लिए कार्य प्रदान करने वाली संस्था के प्रति उत्तरदायी होगा।
4. विहित समय में कार्य पूरा नहीं करने पर अनुवादक से दस्तावेज वापस प्राप्त किए जा सकेंगे और उनके द्वारा अधूरे किए गए कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
5. अनुवादक को अनुवाद के लिए देय शुल्क का भुगतान उनके द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर आवश्यक जांच के उपरान्त किया जावेगा।
6. अनुवाद कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा अनुवाद के कार्य का दुरूपयोग किए जाने पर या गोपनीयता भंग करने पर बिना नोटिस दिए अथवा बिना कारण बनाए अनुवादक का नाम पैनल से पृथक किया जा सकेगा।
7. अनुवादकों से विधिक सेवा कार्यों के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अनुवाद कार्य हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है, जो उन्हें उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।
8. अनुवादकों का पैनल दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 प्रभावी होगा परन्तु पैनल की अवधि प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार विस्तारित की जा सकती है।
9. हिन्दी/स्थानीय भाषा के दस्तावेजों के अंग्रेजी में अनुवाद vice-versa की दरें निम्नानुसार है, जिसका शीघ्र पुनरीक्षण प्रस्तावित है:–
    - अनुवाद 60 रुपये (अक्षरे साठ रुपए मात्र) प्रति पृष्ठ तथा टाईपिंग व्यय 15 रुपए (अक्षरे पन्द्रह रुपए मात्र) प्रति पृष्ठ एवं प्रत्येक अतिरिक्त प्रति के लिए 1.5 रुपए (अक्षरे एक रुपए पचास पैसे मात्र) प्रति पृष्ठ देय होगा।
    - पृष्ठ में न्यूनतम 200 शब्द होना अनिवार्य है। अनुवाद 14 के फोन्ट में एवं 1.5 के लाईन स्पेस में होगा।

    नोट– उक्त दरों का पुनरीक्षण (Revision) विचाराधीन है।
10. पैनल के चयन एवं प्रक्रिया के सन्दर्भ में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
11. पैनल में वर्णित संख्या कम या ज्यादा (आवश्यकतानुसार) हो सकती है।

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

RAJASTHAN HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: ftsrslsa@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in

Application Form for Panel of Translators

please attach recent Passport Size Photo

1. Name of the applicant :
   In Hindi..
   In English.....................................
2. Father's/ Husband's Name of the Applicant:...................................
3. Date of Birth (In words):...
4. Home District:..
5. Permanent Address:...
6. Present Address: ....
7. Mobile Number:...,
8. E-mail Address:...
9. Present Occupation ....
10. Detail of Educational Qualification:..
11. Description of special qualification, if any:....................................
12. Experience of Translation:..
13. Details of documents (enclosed) ....

....

Signature of applicant

Verification

I....................................... son/Wife of Sh................................... hereby declare that the statement made in this application is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief and I have not suppressed any facts.

Signature of applicant

Date: ....

Place:.................................